



आहिस्ते आहिस्ते उबरने की कहानी

ये लगातार तीसरी तिमाही रही, जिसमें बेरोजगारी दर दस फीसदी से ऊपर दर्ज की गई, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन तीनों तिमाहियों के दौरान लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां करीब-करीब ठप हो चुकी थीं।

सपना वर्मा।।

नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की ओर से जारी किए गए पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2020 की तिमाही में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 10.3 फीसदी रही। ये लगातार तीसरी तिमाही रही, जिसमें बेरोजगारी दर दस फीसदी से ऊपर दर्ज की गई, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि इन तीनों तिमाहियों के दौरान लॉकडाउन के चलते आर्थिक गतिविधियां करीब-करीब ठप हो चुकी थीं। उस असाधारण स्थिति से आहिस्ते आहिस्ते उबरने की कहानी इन आंकड़ों में देखी जा सकती है।

इससे ठीक पहले की यानी जुलाई से सितंबर 2020 की तिमाही में शहरी

बेरोजगारी दर 13.3 फीसदी थी। हालांकि इससे आगे की अवधि भी कम उतार-चढ़ाव वाली नहीं रही। कठिन दौर को पीछे छोड़कर जब अर्थव्यवस्था पटरी पर आती हुई दिखने लगी थी, तभी कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर ने एक बार फिर जैसे सब तहस-नहस कर दिया। वैसे पहले दौर का अनुभव काम आया और महामारी का मुकाबला करते हुए भी सरकारों ने देशव्यापी लॉकडाउन के बदले विभिन्न क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक स्थानीय और सीमित लॉकडाउन की नीति अपनाई, जिससे आर्थिक गतिविधियां भी जहां तक संभव हो सका, चलती रहीं।

इसी का परिणाम था कि दूसरी लहर का कहर थमने के बाद इकॉनमी को दोबारा संभलने में पिछली बार जितनी कठिनाई नहीं हुई। इसी शुक्रवार को जारी

इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉडक्शन (आईआईपी) के आंकड़े इसकी पुष्टि करते हैं। इसके मुताबिक जुलाई के फेक्ट्री उत्पादन में 11.5 फीसदी की बढ़ोतरी को भले इस अर्थ में भ्रामक कहा जाए कि यह पिछले साल के लो बेस इफेक्ट की वजह से बेहतर दिख रही है, लेकिन यह तथ्य जरूर उत्साह बढ़ाने वाला है कि औद्योगिक उत्पादन महामारी से पहले वाले स्तर को छूने लगा है। निश्चित रूप से यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियादी मजबूती का संकेतक है।

मगर असली पेच बेरोजगारी पर ही फंसा हुआ है। सीएमआईआई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल अगस्त में भी बेरोजगारी दर 8.3 फीसदी रही। पिछले महीने देश भर में 19 लाख लोगों

को रोजगार गंवाना पड़ा। जाहिर है, इस स्थिति में लोगों की क्रय शक्ति तो कम होती ही है, उनकी क्रय-इच्छा पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। आसपास के लोगों की नौकरियां जाते देख जिनकी नौकरियां नहीं गई हैं, उनका मन भी आशंकित हो जाता है। नतीजतन, जरूरत और क्षमता होते हुए भी वे खरीदारी की योजना स्थगित कर देते हैं। मांग की कमी की समस्या से जूझती अर्थव्यवस्था के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। सरकार द्वारा कुछ दिनों पहले घोषित मॉनिटाइजेशन पॉलिसी के पीछे निवेश बढ़ाकर आर्थिक विकास दर तेज करने और रोजगार के मौके बनाने की मंशा है। लेकिन सही मंशा काफी नहीं है। चुनौती तो इस मंशा को अमली जामा पहनाते हुए जमीन पर उतारने की है।

बेवजह रोब

अशोक बोहरा।
कुछ ही देर बाद
वहां सांप का
अस्थि पंजर
पड़ा था।

इसीलिए कहते हैं कि किसी को छोटा समझकर उस पर बेवजह रोब नहीं जमाना चाहिए। बहुत सारे छोटे मिलकर बड़ी शक्ति बन जाते हैं। एक बार एक मुर्गा भोजन की तलाश कर रहा था। भोजन तलाश करने के दौरान ही एक कूड़े के ढेर में उसे एक बड़ा सा हीर मिला। उस हीरे को देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। फिर उसने उसे चोंच में भर कर तोड़ना चाहा, परंतु भला हीरा कैसे टूटता। तभी उसके इर्द-गिर्द दूसरे मुर्गे भी जमा हो गए और कौतूहलवश उस हीरे के टुकड़े को देखने लगे। उन्हीं में एक दूसरा अनुभवी मुर्गा भी था। वह हीरे के पास आया और ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। इसके बाद उसने किसी ज्ञानी की भांति कहा—“मेरे प्यारे बच्चे! तुम नहीं जानते, यह हीरे का बेकार टुकड़ा है।”

धर्म-दर्शन



संपादकीय

इरादों पर पर्दा

लैंड बॉर्डर्स लॉ पास करना चीन की एक चाल है। वह इसके मार्फत भारत से अपनी असल नीयत छिपाना चाहता है। इस कानून में कहा गया है कि चीन की सीमा का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात और है कि चीन दूसरे देशों की सीमा में घुसपैठ जारी रखे हुए है। चिनफिंग सरकार ने संकेत दिया है कि वह ताकत के जोर पर भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाने की कोशिश करेगा। इसलिए भारत को आने वाले वक्त में चाइनीज एग्रेसन के लिए तैयार रहना होगा। उसे क्वाड सहित समान सोच रखने वाले दूसरे देशों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने होंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन ने जो हिमाकत की, उसकी वजह यह है कि सैन्य लिहाज से वह भारत से अधिक ताकतवर है। चीन की इकॉनमी भी आज भारत के मुकाबले पांच गुना बड़ी है। टेक्नॉलॉजी के मामले में भी वह हमसे काफी आगे है। इन्हीं सब की वजह से चीन को यह भ्रम हो गया है कि वह हमें ताकत के जोर से दबा सकता है। बहरहाल, इस पूरे मामले में भारत के लिए भी एक संदेश है। अगर हमें चीन की चुनौती से निपटना है तो ताकत के इस अंतर को कम करना होगा। इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था का फिर से 8-9 प्रतिशत की दर से लंबे वक्त तक बढ़ना जरूरी है। चीन का नया लैंड बॉर्डर्स कानून बस एक दिखावा है। अगर आपको उसके असल इरादे समझने हैं तो चीन की हरकतों पर नजर बनाए रखनी होगी।

एक देश जिसे सीमा मानता है, उससे दूसरा देश इत्तेफाक नहीं रखता। इसी वजह से वह मसला खड़ा हुआ है, जिसे भारत 'बाउंड्री प्रॉब्लम' कहता आया है।

बढ़ता व्यापार घाटा

गौतम बंबावाले।।

चीन की संसद ने 23 अक्टूबर को एक नए लैंड बॉर्डर्स लॉ को मंजूरी दे दी। यह कानून आने वाले नए साल की पहली तारीख से लागू हो जाएगा। असल में 1949 से ही चीन यह दलील देता आया है कि भारत और उसके बीच सीमा की कमी पहचान नहीं की गई। इस पर भारत का कहना रहा है कि कुछ इलाकों के लिए भले यह बात सही हो, लेकिन समूची सीमा के लिए नहीं। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक आधार पर हमेशा से एक पारंपरिक सीमा रही है। यानी एक देश जिसे सीमा मानता है, उससे दूसरा देश इत्तेफाक नहीं रखता। इसी वजह से वह मसला खड़ा हुआ है, जिसे भारत 'बाउंड्री प्रॉब्लम' कहता आया है।

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी दिसंबर 1988 में चीन की यात्रा पर गए थे। उस यात्रा में दोनों देश सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत को राजी हुए। यह भी तय हुआ कि विवाद सुलझने तक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखी जाएगी। इसके साथ ही भारत और चीन तब व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बनाने को भी मान गए। ऐसा ही हुआ भी। चीन के विश्व व्यापार संगठन से जुड़ने के बाद खासतौर पर 2001 से दोनों मुल्कों के व्यापार में तूफानी



रफ्तार से बढ़ोतरी हुई। इसी का एक परिणाम यह भी हुआ कि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा बढ़ता रहा। आलम यह हो गया कि 2018 में चीन के साथ आपसी व्यापार में भारत का घाटा बढ़कर 50 अरब डॉलर तक जा पहुंचा। तब जाकर भारत को अहसास हुआ कि आपसी व्यापार में चीन का पलड़ा कितना भारी है। इस बीच, चीन की कंपनियां भारतीय फर्मों में पैसा भी लगा रही थीं। कुछ भारतीय कंपनियों ने भी चीन में कामकाज शुरू किया था, लेकिन उनका स्केल बहुत छोटा था। जिस तरह से चीन की कंपनियां भारत में अपना दायरा और दखल बढ़ा रही थीं, उसके मुकाबले तो काफी कम। फिर भी, कुल मिलाकर सबकुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मई 2020 में सूरत-ए-हाल बिगड़ गई।

राजीव गांधी की यात्रा के बाद से तीन दशकों तक भारत और चीन के बीच जो सहमति चली आ रही थी, उसे शी चिनफिंग सरकार ने तोड़ दिया। चीन ने पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा पर फौज की तैनाती बढ़ा दी। भारत के साथ चले आ रहे सीमा विवाद के मद्देनजर चीन ने ऐसा किया था। लेकिन ऐसा करके उसने भारत के साथ सभी समझौते तोड़ दिए। इन समझौतों के पहले पैरा में ही लिखा है कि दोनों देश एक दूसरे को इत्तला दिए बगैर सीमा पर फौज की तैनाती नहीं बढ़ाएंगे। मई 2020 में जब चीन ने जवानों की संख्या पूर्वी लद्दाख में बढ़ाई तो भारत को पहले से उसकी खबर नहीं दी। यही नहीं, वह तो धौंस-पट्टी पर भी उतर आया। उसने ऐसा संकेत दिया कि वह ताकत के जोर से भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाएगा।

चीन ऐसे विवादों में 'सलामी स्लाइसिंग' की रणनीति अपनाता है। इसमें पहले वह थोड़ा आक्रामक रुख अपनाकर सामने वाले का रिएक्शन देखता है और बाद में विवादित क्षेत्र पर दावा कर देता है। दक्षिण चीन सागर में वह पहले ऐसा कर चुका था। तब दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की ओर से उसे रोकने की कोशिश नहीं हुई थी। लेकिन पूर्वी लद्दाख में जब चीन ने यही चाल अपनाई तो भारत ने सैन्य और कूटनीतिक दोनों ही स्तरों पर उसे मुंहतोड़ जवाब दिया।

अभ्युक्त-5090						
5	7	2	1	3		
	35		26		28	
	6	5		3	2	1
4	32		32		32	4
		3	4		6	
6	35		35	7	38	2
		6	1		4	

अपना ब्लॉग

नियम तोड़नेवालों की
तायदाद काफी

मोहन। बड़ी विषम परिस्थिति है। देश का प्रसन्नता सूचकांक विश्व स्तर पर बहुत कम होने का यह भी एक बड़ा कारण है। इन्हें कम करने और चुस्त-दुरुस्त बनाने की बजाय ऊपर से और भी नित नए कानून बनते चले जा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि नियम पालन करनेवालों की अपेक्षा नियम तोड़नेवालों की तायदाद काफी है। कानूनी तकनीकी विषयों पर ग्रन्थ तो बहुत हैं मगर कानूनी विषयों का अपना शब्दकोष, व्याकरण और साहित्य होता है। कानूनी साहित्य में अंग्रेजी भाषा और सैकड़ों लैटिन- ग्रीक शब्द-खण्ड हैं। उन्हें समझ पाना अच्छे-अच्छों के लिए आसान नहीं। ऊपर से बहुत सारे न्यायिक आदेशों के सैकड़ों पन्नों को समझना-समझाना या कार्यान्वित करना सचमुच एक गंभीर चुनौती है। विधायिका कानून बनाकर अपना कर्तव्य पूरा कर देती है। अब कार्यपालिका इन्हें लागू करती है तो जनता की ओर से न्यायपालिका में याचिका (रिट) दायर हो जाती है। फिर भी बेचारे दफ्तर के बाबू के लिए मोटा चश्मा लगाकर पूरा पढ़ना अति आवश्यक होता है।

